जी.वी.वी. शर्मा, भा.प्र.से
सदस्य सचिव
G.V.V. Sarma, IAS
Member Secretary

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
Government of India
Ministry of Home Affairs
National Disaster Management Authority

अ.शा. सं० 1–137/2018–प्रशमन **II** (एफटीएस–10548)

दिनांक : 4 फरवरी, 2020

प्रिय,

आपको चीन के वुहान शहर में नोवल कोरोना वायरस (एनसीओवी) के प्रकोप के बारे में अवगत हैं। आपको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अ.शा. पत्र सं० जेड.28015/01/2020–ईएमआर दिनांक 17 जनवरी, 2020 का भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। यह स्मरण किया जा सकता है कि एनडीएमए ने जैविक आपदाओं के प्रबंधन और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, 2019 पर दिशानिर्देश जारी किए गए है। जैविक और जन–स्वास्थ्य आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, 2019 के तहत प्रावधान भी है।

2 यद्यपी आपको मंत्रीमंडल सचिवालय द्वारा नियमित रूप से किए गए बैठकों और नियमित वीडियों कॉन्फ्रेंसिस के माध्यम से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्णयों के बारे में अवगत है, मैं संबंधित एजेंसियों द्वारा शुरू की जाने की आवश्यक महत्वपूर्ण कार्रवाई बिंदुओं का संक्षेप्त प्रस्तुत कर रहा हूं :–

(i) सभी राज्य/यूटी को प्रथम मोचकों, विशेषकर जैविक आपातकाल से निपटने के बुनियादी, स्वच्छीकरण (सेनीटाइजेशन) प्रशिक्षण शुरू करना चाहिए (सभी मुख्य प्रथम मोचक हितधारकों को शामिल करते हुए)।

(ii) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सोशल मीडिया/पीआईबी/एमओएचएफडब्ल्यू वेबसाइट पर जारी क्या करें और क्या न करें पर सोशल मीडिया और मुद्रित और इलेक्ट्रानिक मीडिया पर व्यापक कवरेज और स्थानीय भाषाओं में अनुवाद/प्रसार भी सुनिश्चित करना।

(iii) स्थितिजन्य जागरूकता पर संयुक्त समीक्षा बैठक का आयोजन।

(iv) यात्रा, स्वास्थ्य, भीड़–भाड़ से बचना, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सूचित देशों से आए लोगों के संरोधन (क्वारंटीन), व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (मास्क, हैंड सेनीटाइजर का प्रयोग); रोगियों का पृथकीकरण पर सलाह सलाह का प्रचार।

(v) स्वास्थ्यकर्मी, सीआईएसएफ, एनडीआरएफ, एयरलाइन, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, भूमि बंदरगाहों और अन्य संबंधित हितधारकों के लिए लक्षित क्षमता निर्माण पर आवश्यकता अनुसार विशिष्ट निर्देश भेजना।

(vi) सभी जिलों में संरोधन सुविधा की पहचान और बढ़ावा।

(vii) उपयुक्त मीडिया प्रबंधन के माध्यम से झूठी खबर, परामर्श, अफवाहें और अनावश्यक सूचना को फैलाने से बचना।

(viii) चीन से वापसी लोगों, जो होम क्वारंटीन के अंतर्गत हैं, के विशेष संदर्भ में स्थिति के समन्वय और नजदीकी से निगरानी करने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के संबंधित अधिकारियों और डीडीएमए/जिलाधिकारियों से संबद्ध।

3 उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, सभी राज्य/यूटी को उपयुक्त कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध करता हूं।

भवदीय,

(जी.वी.वी. शर्मा)

सेवा में सभी राज्यों/यूटी के मुख्य सचिव